



फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपरवठ डाधिकारी मुकाम भाडल  
बुखी बनाम बिम्बा  
 किसम मुकदमा इजराप नं. 52 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2.8.17	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई, इजराप डिप्टी की पासना हेतु तहसीलदार काठडल को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.8.17 को पेश हो।  <div style="text-align: center;">   <b>उपवठ अधिकारी</b>  <b>माण्डल</b> </div>	
25.8.17	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाधित न होकर पर ह/ प्रदर्शित है। अतः पत्रावली दिनांक 22.9.17 को पेश हो।  <div style="text-align: center;">   <b>उपवठ अधिकारी</b>  <b>माण्डल</b> </div>	
22.9.17	<del>पत्रावली पेश हुई। वसीम डिप्टी जज उपस्थित। 10.0.17 को राजकीय कार्य के मौलकाद पत्रावली की वारंट डिप्टी की पासना हेतु पत्रावली दिनांक 15.12.17 को पेश हो।</del>	वर्तमान में उपरोक्त में स्थान में जो हुकम जारी है 2/6/18
8/18	पत्रावली राजस्व कोष अदालत आयोगान न्याय कोष डा. 18 कोर्ट केमप सीडियास पर पेश हुई। प. 0. 80 सीडियास ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंगिकर लिया की प्रकरण में पाठना पर बंध है। न्यायालय में प्रकरण अंगिकरणी एवं पदेन राजस्व अपील को अंगिकरणी डा. 18 जारी स्थान आदेश होने में पाठना सम्भव नहीं है। रिपोर्ट प. 0. 80 सीडियास अनुसार प्रकरण में RAH न्यायालय को स्थान होने में पाठना सम्भव नहीं है।	

तारीख  
हुसम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

अंतः प्रकृत में जारी स्थगन आदेश  
के निर्णय होने तक प्रकृत न्याय  
क्रिया प्रारंभ है



उपरोक्त अधिकारी  
मंडल जिला ...